मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 68 | अगस्त, 2023 | अंक 08 | कुल पृष्ठ 6

गेहूं की कीमत और खरीद के आंकड़ों से इसके उत्पादन के सरकारी अनुमान पर सवाल

- डॉ. बिस्वजीत धर

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 12 जून को गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी। ऐसा 15 वर्षों में पहली बार हुआ। मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में स्टॉक लिमिट की घोषणा करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, यों थोक विक्रेताओं, ओं खुदरा विक्रेताओं, ओं बड़े चेन रिटेलर तथा प्रोसेसर के लिए यह स्टॉक लिमिट लागू की गई है, जो 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार व्यापारी/थोक विक्रेता के लिए 3000 मीट्रिक टन गेहूं रखने की सीमा है। रिटेलर के लिए हर रिटेल आउटलेट में 10 टन की सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह, बड़े चेन रिटेलर्स को हर आउटलेट में 10 टन और डिपो में तीन हजार टन गेहूं रखने की अनुमति दी गई है। प्रोसेसर अपनी सालाना क्षमता के 75% तक अथवा 2023-24 के बाकी बचे महीनों के लिए मासिक स्थापित क्षमता के बराबर (दोनों में से जो भी कम हो) गेहूं रख सकते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के व्हीट स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम के पास इन सबको हर सप्ताह अपने स्टॉक की स्थिति बतानी है। अगर उनके पास अधिसूचना जारी होने के समय निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में गेहूं था तो उन्हें 30 दिनों के भीतर उसे कम करना पड़ेगा। गेहूं की सप्लाई सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल से 15 लाख टन गेहूं जारी करने का भी निर्णय लिया है। खुले बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत यह गेहूं आटा मिलों, लों निजी ट्रेडर, थोक खरीदारों तथा गेहूं के उत्पाद बनाने वालों को बेचा जाएगा। यह बिक्री ई-नीलामी के जरिए की जाएगी। सरकार ने 23 जून को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल बेचने का निर्देश दिया। इस निर्देश के अनुसार निगम को 5 जुलाई से इनकी बिक्री करनी थी। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत इन दोनों कमोडिटी की कीमतों को नियंत्रित करने के मकसद से यह निर्णय लिया गया। इस ई-नीलामी में कोई भी खरीदार अधिकतम 100 टन खरीद के लिए बोली लगा सकता है। उचित औसत

क्वालिटी वाले गेहूं के लिए कम से कम 2150 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत रखी गई है। यह कीमत घोषणा वाले सप्ताह के दौरान औसत थोक मूल्य की तुलना में छठवां हिस्सा कम है। गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय अहम जान पड़ते हैं, क्योंकिक्यों सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि उत्पादन में कमी से गेहूं की किल्लत हो सकती है। सरकार ने तो फरवरी में जारी खाद्यान्न उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान में 1121.8 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन की बात कही थी। मई के अंत में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान में इसे संशोधित कर 1127.4 लाख टन कर दिया था। इन अनुमानों के आधार पर माना जा रहा था कि 2022-23 में गेहूं उत्पादन में वृद्धि बीते 5 वर्षों के दौरान (2017-18 के बाद) सबसे अधिक होगी। 2021-22 में उत्पादन में गिरावट को देखते हुए यह अच्छी खबर थी। महीने के अंत में रबी मार्केटिंग सीजन शुरू हुआ तो गेहूं की सप्लाई को लेकर स्थिति अच्छी लग रही थी। सरकार का अनुमान था कि इस बार 342 लाख टन गेहूं की खरीद होगी। सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान 187.9 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। 9 मई तक सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही थी। उस समय तक 252 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी थी जो पिछले साल की तुलना 75 लाख टन अधिक थी। गेहूं की बाजार परिस्थितियों को लेकर पहली बार मई के मध्य में चिंता उभरने लगी। एफसीआई के आंकड़े बताते हैं कि उसके बाद से गेहूं की खरीद बहुत मामूली रह गई। मई के अंत तक केंद्र और राज्य की एजेंसिजें यों की कुल खरीद 262 लाख टन तक ही पहुंच सकी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जून में खत्म होने वाला खरीद का सीजन मई तक भी नहीं चल सका। खरीद सीजन खत्म हुआ तो वास्तविक खरीद सरकार के 342 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में लगभग 25% काम थी। इस तरह मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं की खरीद का स्तर 2016-17 के बाद दूसरा सबसे कम था। उस वर्ष 230 लाख टन गेहूं की खरीब दुई थी। पिछले साल गेहूं उत्पादन में गिरावट से पहले 5 वर्षों के दौरान सालाना औसत खरीद 366 लाख टन थी। यह इस साल की तुलना में काफी ज्यादा है। यही नहीं, हीं रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 में 433.4 लाख टन की खरीद हुई थी। वह भी तब जब उत्पादन सरकार के इस साल के अनुमान से भी कम था। उत्पादन के अनुमानों और वास्तविक खरीद के बीच तारतम्य न होने पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसे अनेक संकेत हैं जो इसकी वजह बताते हैं। सरकार इस साल गेहूं उत्पादन को लेकर काफी उत्साहित थी, लेकिन मौसम ने विलेन का काम किया। मार्च और अप्रैल में गेहूं उत्पादन वाले प्रमुख इलाकों में बेमौसम बारिश से उत्पादन प्रभावित हुआ। इसके असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के लिए गुणवत्ता मानकों में ढील देने का फैसला किया, खासकर बारिश के कारण गेहूं की चमक खोने के चलते। पिछले साल अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला गेहूं एफसीआई के गोदामों में पहुंचा था, जबकि निजी ट्रेडर और मिलिंग इंडस्ट्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक कीमत देकर अच्छी क्वालिटी का गेहूं खरीदा था। इंडस्ट्री ने सीधे बाजार से गेहूं खरीदने का जो फैसला किया वह खुली बाजार बिक्री योजना के तहत गेहूं सप्लाई करने की सरकार की क्षमता को लेकर उनके नकारात्मक एसेसमेंट को दर्शाता है। इस सेंटीमेंट का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है कि सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक बहुत कम रह गया। अप्रैल में यह सिर्फ 83.5 लाख टन था जो 2008 के बाद सबसे कम है। उसी वर्ष गेहूं पर पहली बार स्टॉक लिमिट लगाई गई थी। जून में सेंट्रल पूल में गेहूं का स्टॉक 314 लाख टन

पहुंच गया जो जून 2022 के 311 लाख टन की तुलना में थोड़ा अधिक है। पिछले साल का स्टॉक भी 2008 के बाद सबसे कम था। मौजूदा खरीद सीजन में निजी ट्रेडर्स और मिलिंग इंडस्ट्री के अत्यधिक सक्रिय रहने के पीछे उनका यह आकलन हो सकता है कि 2022- 23 में गेहूं का उत्पादन 2021-22 से भी कम रहेगा। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन के अनुसार गेहूं का उत्पादन सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान 1127.4 लाख टन से कम से कम 10 प्रतिशत नीचे रहेगा। गेहूं की कीमतों और खरीद का ट्रेंड बताता है कि इसके उत्पादन को लेकर इंडस्ट्री का आकलन ज्यादा सटीक है। गेहूं की मौजूदा बाजार परिस्थितियां संकेत देती हैं कि आने वाले महीनों में इसकी सप्लाई कम हो सकती है। इसलिए महंगाई के रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा से नीचे आने से पहले ही अनाजों के दाम बढ़ सकते हैं। गेहूं की कीमतों में तेजी तो है ही, धान उत्पादन को लेकर भी संशय बना हुआ है। खासकर बीते हफ्तों के दौरान मानसून की स्थिति को देखते हुए। किसी भी तरह की सट्टेबाजी को रोकने के लिए सरकार ने तत्काल स्टॉक लिमिट लगाने का निर्णय लिया है। इसे उचित समय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

कृषि सब्सिडी पर डब्लूटीओ में विकासशील देशों की निष्क्रियता और इसका परिणाम

- डॉ. बिस्वजीत धर

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि समझौते में एग्रीकल्चर सब्सिडी का मुद्दा सबसे विवादास्पद मुद्दों में एक रहा है। इस विषय पर विकसित और विकासशील देश एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रहे हैं। विकासशील देशों का तर्क है कि विकसित देश बड़े पैमाने पर कृषि सब्सिडी देते हैं। इसकी मदद से कई महत्वपूर्ण फसलों के ग्लोबल बाजार में उन्होंनेन्हों नेअपना बड़ा हिस्सा बना लिया है। इन देशों के लिए यह दोधारी तलवार की तरह हो गया है। एक तरफ तो सब्सिडी के कारण बड़े एग्री बिजनेस अंतरराष्ट्री य बाजार में अपने प्रोडक्ट को डंप करते हैं, जिससे विकासशील देशों के छोटे किसान वंचित रह जाते हैं। उन्हें उन बाजारों में पहुंचने का अवसर नहीं मिल पाता है, जबकि 1995 के डब्ल्यूटीओ के उरुग्वे दौर की वार्ता में उनके लिए समान अवसरों की बात कही गई थी। दूसरी बात यह है कि सब्सिडी का इस्तेमाल करके एग्री बिजनेस विकासशील देश के बाजारों का आसानी से दोहन कर सकते हैं। इस तरह ये इन देशों के कृषक समुदाय की आजीविका को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। इसका असर इन देशों की घरेलू खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। अमेरिका में कॉटन पर जो सब्सिडी दी जाती है, उसके विपरीत प्रभावों के बारे में ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन की विवाद निस्तारण बॉडी के सामने अपनी बात रखी थी। ब्राजील का कहना था कि कपास किसानों को अमेरिका की तरफ से जो सब्सिडी भुगतान और गारंटी दी जा रही है, वह डब्लूटीओ के कृषि समझौते (एओए) में सब्सिडी के प्रावधानों के विपरीत है। इस सब्सिडी की वजह से बाजार में विकृति पैदा हुई और अंतरराष्ट्री य बाजारों में कपास के दामों में गिरावट आई। इसके अलावा अमेरिका निर्यात सब्सिडी भी दे रहा है जबकि डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं है। अमेरिका

और ब्राजील के बीच विवाद ने विकासशील देशों को यह मौका दिया कि इस तरह की असमानता वाली सब्सिडी को दूर करने के लिए वह कृषि समझाते में संशोधन की मांग कर सकें। बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली को कॉटन 4 नाम से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका के ये देश विदेशी मुद्रा आय के लिए कपास निर्यात पर ही बड़े पैमाने पर निर्भर करते हैं। अमेरिकी सब्सिडी के बाद वहां पैदा हुई दुर्दशा को भी सामने लाया गया। इन सबको दोहा दौर की वार्ता में व्यापक रूप से शामिल किया गया। उसमें तय किया गया कि डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में नियम इस तरह होंगेहों गेकि विकासशील देश अपने विकास की जरूरतों को प्रभावी तरीके से लागू कर सकें। इसमें खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास भी शामिल है। डब्ल्यूटीओ के इतिहास में पहली बार विकासशील देशों ने एक समूह के रूप में बात की ताकि संबंधित नियमों को उनके हितों की सुरक्षा को देखते हुए संशोधित किया जा सके। एक तरफ तो उन्होंनेन्हों नेविकसित देशों की सब्सिडी कम करने का दबाव दिया ताकि ग्लोबल मार्केट में पैदा हुई विकृति को कम किया जा सके, दूसरी तरफ सब्सिडी की व्यवस्था में अतिरिक्त लचीलापन लाने की बात हुई जिससे विकासशील देश अपनी उभरती चुनौतियों, यों खासकर खाद्य एवं आजीविका की सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास से निपट सकें। लेकिन डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में इन संशोधनों के दो दशक बाद पूरा एजेंडा जेनेवा में बातचीत की मेज से बाहर चला गया लगता है। विकासशील देशों के हिमायती, वह भी खासतौर से भारत जैसे देश कृषि समझौते की अन्यायपूर्ण सब्सिडी को नए सिरे से संतुलित बनाने के प्रयासों में पीछे छूट गए जान पड़ते हैं। यही नहीं, हीं संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र में जुटे अपने किसानों के हितों की रक्षा करने में भी उनके प्रयासों में कमी झलकती है। सवाल उठता है कि इन दोनों मुद्दों पर विकासशील देशों की निष्क्रियता उनके अपने हितों को किस तरह प्रभावित कर रही है? पहली बात तो यह कि विकासशील देशों ने विकसित देशों की तरफ से बाजार को विकृत करने वाली सब्सिडी पर लगातार निगरानी करना बंद कर दिया है, जबकि पहले वे ऐसा कर रहे थे। डब्ल्यूटीओ में अमेरिका के खिलाफ ब्राज़ील कपास पर सब्सिडी का जो मुद्दा लेकर गया था वह इसी निगरानी का परिणाम था। विकासशील देशों की तरफ से सक्रियता में कमी इस हद तक चली गई है कि उन्होंनेन्हों नेविकसित देशों से यह कहना भी बंद कर दिया है कि वे समयबद्ध तरीके से अपने सब्सिडी नोटिफिकेशन को जमा करें। इसी नोटिफिकेशन से कृषि सब्सिडी के बारे में आवश्यक सूचनाओं की जानकारी मिलती है। डब्ल्यूटीओ पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार घरेलू मदद अथवा उत्पादन से संबंधित सब्सिडी के लिए नोटिफिकेशन जमा करने में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों भारत से 2 साल पीछे हैं। सब्सिडी के सवाल पर विकासशील देशों की निष्क्रियता का दूसरा प्रभाव अपने किसानों को इन देशों की तरफ से दी जाने वाली मदद में दिखता है। भारत में सरकार ने सब्सिडी में बढ़ोतरी की है और हाल के वर्षों में यह बढ़ोतरी तीव्र रही है। घरेलू मदद यानी उत्पादन संबंधित सब्सिडी पर भारत के नोटिफिकेशन से पता चलता है कि सब्सिडी की राशि 43.4 अरब डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 87.7 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। इस तरह भारत में कृषि पर जो सब्सिडी दी जा रही है वह डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते की प्रतिबद्धताओं के तहत सरकार की अधिकतम सीमा के करीब पहुंच गई है। उदाहरण के लिए चावल के मामले में देखें तो 2021-22 में कुल उत्पादन की वैल्यू के 15% के बराबर भारत में प्राइस सपोर्ट दिया। जबकि डब्ल्यूटीओ के समझौते में कहा गया है

कि यह 10% से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए आश्चर्य नहीं की भारत पर चावल के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घटाने का काफी दबाव है। डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में सब्सिडी का जो आकलन किया गया है, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा इसकी गणना का तरीका है। रूरल वॉयस पर पिछले दिनों एक लेख में मैंने इसके बारे में विस्तार से बताया था। संक्षेप में कहें तो सब्सिडी की गणना में 1986- 88 की औसत अंतरराष्ट्री य कीमत को लिया जाता है। उस कीमत में से एमएसपी को घटाकर जो आंकड़ा बनता है उसमें सरकार की खरीद की मात्रा को गुना किया जाता है। यह तरीका इसलिए गलत है क्योंकिक्यों इसमें जो अंतरराष्ट्री य कीमत ली जाती है वह चार दशक पुरानी है। यह तरीका पूरी तरह भारत के हित के खिलाफ है। 1986-88 के बाद भारत में सालाना महंगाई (4% से अधिक) काफी रही है। इस तरह देखा जाए तो इस आधार पर सब्सिडी की गणना करना बेमतलब है। भारत के मामले में 1986-88 से 2021 के दौरान खुदरा महंगाई 970% बढ़ी है। कुछ वर्ष पहले तक भारत कई अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर लगातार यह कहता आ रहा था कि डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते में सब्सिडी के नियमों में संशोधन करना जरूरी है ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। विकसित देशों की सब्सिडी को नियंत्रित करने से न सिर्फ विकासशील देश ग्लोबल मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकेंगे, बल्कि अपने घरेलू किसानों को भी सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों की डंपिंग से बचा सकेंगे। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों ने अपनी आवाज उठाना क्यों बंद कर दिया है। जहां तक भारत की बात है, तो सब्सिडी के सवाल की अनदेखी करने का तत्काल प्रभाव द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बातचीत पर पड़ेगा। इस समय भारत यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत कर रहा है। इसके अलावा भारत, अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पेसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) का भी हिस्सा है। यह 14 देशों की क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था है। अमेरिका की प्रमुख आकांक्षाओं में एक टैरिफ समेत सभी तरह की व्यापार बाधाओं को हटाकर कृषि बाजार का उदारीकरण है। लेकिन न तो यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए, न ही आईपीईएफ के साथ बातचीत में कृषि सब्सिडी मुद्दा है। वार्ताओं में सब्सिडी का मुद्दा शामिल न होने तथा टैरिफ में कमी का भारत के लिए क्या मतलब है? अभी भारत प्रमुख खाद्य फसलों पर ऊंचा टैरिफ लगाकर विकसित देशों की सब्सिडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जब टैरिफ में कमी हो जाएगी तब भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

(डॉ. बिस्वजीत धर जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर और काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेख में व्यक्त विचार लेखक के निजी विचार हैं)

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. U(C)-92/2021-23

प्रकाशन की तिथि : 1 अगस्त, 2023
एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
तारीख 4 एवं 5, अगस्त 2023

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नामः _____

सदस्यता संख्याः _____

वर्तमान पताः _____

_____

टेलीफोन नंबरः _____

मोबाइल नंबरः _____

ईमेलः _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, **वैबसाईटः** www.bks.org.in **के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।**